

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 308 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 434)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जगिन्द्र कौर पत्नी जगत सिंह जाति सैनी सिख निवासी 2 एक्स तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 29.11.2023

उपस्थित: 1.श्री अजय कुमार बिश्नोई अधिवक्ता वादिया

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 21.05.2024

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 29/29 के मुर्ब्बा नम्बर 14 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादिया के नाम 79/1265 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में वादिया का नाम गुरमेज कौर पत्नी जगत सिंह अंकित है। वादिया उक्त खाता में नाम जगिन्द्र कौर पत्नी जगत सिंह दर्ज करवाना चाहती है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। वर्तमान में फसल बेचान, अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र तथा जमाबंदी एवं गिरदावरी इत्यादि दस्तावेजात ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप खातेदार का नाम मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण इत्यादि की स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से वादिया को झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादिया माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रही है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 29/29 के मुर्ब्बा नम्बर 14 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में अंकित नाम गुरमेज कौर के स्थान पर जगिन्द्र कौर उर्फ गुरमेज कौर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 943 दिनांक 26.03.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 2 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 29 के मुर्ब्बा नम्बर 14 में 0.395 हैक्टेयर भूमि गुरमेज कौर पत्नी जगत सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एवं फर्द मौका बनाया गया, जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि गुरमेज कौर को जगिन्द्र कौर के नाम से जाना जाता है। गुरमेज कौर का नाम ससुराल 2 एक्स में जगिन्द्र कौर रखा गया है।
- वहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की वहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम चक 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 29/29 की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत 2 एक्स तस्दीक प्रमाण पत्र की प्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया के



उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
श्री करणपुर

द्वारा राजस्व ग्राम चक 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 29/29 में क्रम संख्या 5 पर अंकित नाम गुरमेज कौर के स्थान पर गुरमेज कौर उर्फ जगिन्द्र कौर दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादिया के पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति में नाम जगिन्द्र कौर अंकित है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एवं फर्द मौका बनाया गया, जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि गुरमेज कौर को जगिन्द्र कौर के नाम से जाना जाता है। गुरमेज कौर का नाम ससुराल 2 एक्स में जगिन्द्र कौर रखा गया है। अतः वाद पत्र वादिया रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादिया के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 29/29 में क्रम संख्या 5 पर अंकित नाम गुरमेज कौर के स्थान पर गुरमेज कौर उर्फ जगिन्द्र कौर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जगिन्द्र कौर बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 308/2023

निर्णय दिनांक :- 21.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादिया अधिवक्ता श्री अजय कुमार बिश्नोई उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ. नि. क्षेत्र धनुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 29/29 में क्रम संख्या 5 पर अंकित नाम गुरमेज कौर के स्थान पर गुरमेज कौर उर्फ जगिन्द्र कौर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 21.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 21.05.2024

क्रमांक: रीडर/2024/211

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर